FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

जज अदालम SDO कलेक्टर बसवा मुकाम बसवा

किस्म मुकदमा मनीष कुमार वगैरह बनाम विश्राम वगैरह

दावा उद्घोषणा एवं स्थाई नि. नं. 189/2023 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	04.07.2023 एक दावा वास्ते उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण मनीष कुमार पुत्र विश्राम जाति माली निवासी बसवा तह.बसवा वगैरह द्वारा जरिये एडवाकेट लक्ष्मीनारायण मीना एवं राकेश कुमार जांगिड के विरूद्ध प्रतिवादीगण विश्राम पुत्र पप्पू जाति माली निवासी बसवा वगैरह के इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बसवा स्थित संवत् 2070–73 की जमाबंदी के खाता संख्या 968 के खसरा नंबर 5531, 5533, 5534, 5535, 5543, 5544, 5545, 5546, 5557 कुल खसरा नंबर 9 कुल रकबा 1.63 हैक्टयर वादीगण के पूर्वज वादीगण के पिता की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है जो वादीगण के पितामह को उनके पिता की विरासत से प्राप्त हुई है । अतः वाद पत्र में इस आशय की डिकी फरमाई जावे कि संलग्न जमाबंदी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 968 खसरा नंबर 5531, 5533, 5534, 5535, 5543, 5544, 5545, 5546, 5557 कुल खसरा नंबर 9 कुल रकबा 1.63 हैक्टयर में वादीगण को हिस्सा 1/5–1/5 का खातेदार काश्तकार करने की घोषणा फरमाई जावे । साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि उक्त आराजी की मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की स्थिति यथावत रखने के लिये आदेश जारी किये जावें । उपरोक्त प्रकरण का अवलोकन किया, प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगणों को जरिये रजिस्टर्ड एवं ए.डी. नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 21.08. 2023 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	
21-8-23	पत्रावली पेश हुई। वादी बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु बाद आवाज भी कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो नकल हुकम हो उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)	